राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर
राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

क्रमांक : प.14(10)RSMSSB/अर्थना/म.बा.वि.(अनु. क्षैत्र)/2015/पार्ट–II/185 दिनांक : 21.04.2016

कार्यालय आदेश

महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाऐं के लिए राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 एवं राजस्थान महिला बाल विकास विभाग (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1998 के अन्तर्गत पर्यवेक्षक (अनुसूचित क्षेत्र) सीधी भर्ती परीक्षा–2015 की परीक्षा दिनांक 20.12.2015 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का परिणाम बोर्ड द्वारा दिनांक 06.01.2016 को जारी किया गया था। परीक्षा में अस्थाई (Provisional) रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु दिनांक 21.01.2016 से 22.01.2016 को निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं, महिला एवं बाल विकास विभाग, 2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर पर उपस्थित होने हेतु बोर्ड के कार्यालय आदेश दिनांक 07.01.2016 के द्वारा निर्देशित किया गया था। महिला बाल विकास विभाग ने पर्यवेक्षक (अनुसूचित क्षेत्र) के पद पर अस्थाई रुप से चयनित अभ्यर्थियो की पात्रता की जांच कर सूची बोर्ड को दिनांक 08.03.2016 द्वारा भिजवाई गई थी। विभाग द्वारा भिजवाई गई सूचियों की बोर्ड द्वारा पुनः जाँच की गई। पर्यवेक्षक (अनुसूचित क्षेत्र) परीक्षा 2015 में अस्थाई (Provisional) रूप से सफल घोषित अभ्यर्थिया श्रीमति सीमा शर्मा रोल नं. 401790 का उत्कृष्ट खिलाडी कोटे में एवं सुश्री कौशल्या रोल नं. 409244 अनुसूचित क्षैत्र की अनुसूचित जनजाति श्रेणी से अस्थाई रूप सें चयन किया गया था। जांच के दौरान अभ्यर्थिया श्रीमति सीमा शर्मा कें उत्कृष्ट खिलाडी के प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर के नहीं पाये गये है। अन्य अभ्यर्थिया सुश्री कौशल्या ने अनुसूचित क्षैत्र का मूल निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः उपरोक्त वर्णित कारणों से **अभ्यर्थिया श्रीमति सीमा शर्मा रोल नं. 401790 एवं सुश्री कौशल्या रोल नं. 409244** का पर्यवेक्षक(अनुसूचित क्षैत्र) के पद पर किया गया अस्थाई चयन निरस्त किया जाता है।

(आर0 के0 मीना)
अध्यक्ष